स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

F. No. NCST-16013(MP)/11/2021-RU-III (ESDW)

छठा तल , लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-03
दिनांक: 25.10.2021

सेवा में,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण सिविल लाइन्स,
जबलपुर-482007
मध्य प्रदेश

प्रधान सचिव (वन),
वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल,
मध्य प्रदेश-462010

जिला कलेक्टर,
जबलपुर-482001
मध्य प्रदेश

विषय: दिनांक जबलपुर जिले की कुंदम तहसील के आदिवासियों को तेंदुपत्ता तोड़ने संबंधी वनाधिकार आय से वंचित करने के सम्बन्ध में श्री लाला राम टेकाम, सचिव महाग्राम सभा रोरिया, तथा श्री भारत नामदेव जिला जबलपुर (म. प्र.) के आवेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2021 को आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत.

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 07.10.2021 को आयोग में हुई बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें. उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है. आपसे अनुरोध है की बैठक में लिया गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें.

संलग्न यथोपरि.

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
उपनिदेशक
दूरभाष: 011-24601346
ई-मेल: asttdir@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री लाला राम टेकाम, सचिव, महाग्राम सभा रोरिया, ग्राम पंचायत– टिकरिया, तहसील– कुण्डम, जिला– जबलपुर (म.प्र)- 482001
2. श्री भरत नामदेव, ईडी, जेबीएसके, 1326, माझागावान, तहसील सिहोरा, जिला– जबलपुर (म.प्र)- 483334

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- NCST-16013(MP)/11/2021-(RU-III) ESDW)

जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील के आदिवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने संबंधी वनाधिकार आय से वंचित करने के संबंध में श्री लाला राम टेकाम, सचिव, महाग्राम सभा रोरिया, ग्राम पंचायत- टिकरिया, तहसील- कुण्डम, जिला- जबलपुर (म.प्र) तथा श्री भरत नामदेव, मझगांव, तहसील - सिहोरा, जबलपुर (म.प्र) के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2021 को आयोग में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि	:	07/10/2021, 03.30 बजे (अपराह्न)
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

- प्रकरण में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के आदेशानुसार दिनांक 27 सितंबर, 2021 को प्रधान सचिव, वन विभाग,मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर, जबलपुर तथा वनमंडलाधिकारी, जबलपुर को दिनांक 07.10.2021 को 03.30 बजे (अपराह्न) सिटिंग हेतु समन जारी किया गया था। इसके अनुपालन में निर्धारित समय पर प्रधान सचिव, वन, प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, मध्यप्रदेश तथा वनमंडलाधिकारी, जबलपुर उपस्थित हुए।
- सिटिंग शुरू होने से पहले आयोग के समक्ष संबंधित अधिकारियों का परिचय हुआ । तत्पश्चात आयोग ने पहले अभ्यावेदक से उनका पक्ष जानना चाहा।
- अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि जबलपुर जिले के कुंडम तहसील में ग्रामसभा द्वारा सीएफआर लेने के लिए आवेदन किया गया था, अब जब ग्रामसभा को सीएफआर मिल चुका है, तब वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको वनोपज बिक्री की अनुमति नहीं है। हमारी ग्राम सभा के द्वारा तेंदूपत्ता के संग्रहण व बिक्री के लिए 10 गांवों का महासंघ बनाया गया। इस संबंध में वन विभाग को सूचित भी किया गया था। इसके बाद वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को तेंदूपत्ता की बिक्री से रोक दिया गया तथा नोटिस भी जारी कर दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा पहले से जो तेंदूपत्ता जमा किया गया था, उसे बिक्री करने से रोक दिया गया। इसके बाद करीब 45 हजार तेंदूपत्ता को वेंडर द्वारा खराब बता

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Govt. of India

करके खरीदने से मना कर दिया गया जो कि कुल संग्रह का आधा था, जिससे ग्रामसभा को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

- वन विभाग की ओर से उपस्थित प्रधान सचिव ने आयोग को अवगत कराया कि वन विभाग तेंदुपत्ता जब्त नहीं करता है। तेंदूपत्ता के संग्रहण व विक्रय के लिए समितियां बनाई गई हैं तथा फिर उनका संघ बनता है, जिसमें जनजाति वर्ग के ही लोग होते हैं। मध्यप्रदेश में करीब 40 लाख संग्राहक हैं। सरकार की कोशिश होती है कि तेंदूपत्ता उचित मूल्य पर व्यवसायियों को बेचा जा सके ताकि संग्राहकों को अधिकाधिक फायदा मिल सके। वन विभाग इस काम में संग्राहकों के संघ की मदद करता है। तेंदूपत्ता के लाभांश का 70 फीसदी हिस्सा संग्राहकों को मिलता है तथा 15 फीसदी ग्राम विकास समितियों को मिलता है। तेंदूपत्ता के संग्रहण पर शासन की ओर से कोई रोक नहीं है, उसे बेचने के लिए नियम है कि समितियों को ही बेचा जाए ताकि उचित मूल्य प्राप्त हो सके। संग्राहक समितियों में स्थानीय लोग ही जुड़े होते हैं तथा जिला स्तर पर वन मंडलाधिकारी व राज्य स्तर पर संघ है जिसके प्रमुख प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ होते हैं। मध्यप्रदेश राज्य में 16 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन है तथा कुल रुपये 1,000 करोड़ का अनुमानित लघु वनोपज उत्पादन है।
- अभ्यावेदक ने बताया कि ग्राम सभा को तेंदूपत्ता जमा करने और बेचने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वनोपज का लाभ सीधे ग्राम सभा को प्राप्त हो सके ।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं -

(1) मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग अथवा जबलपुर के वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों को ग्राम सभाओं के द्वारा वनोपज संग्रहण पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ग्रामसभा की स्वायतता का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें तेंदूपत्ता के संग्रहण और विक्रय के लिए अधिक आज़ादी दी जानी चाहिए ताकि वनोपज के लाभ का ज्यादा हिस्सा ग्रामसभा को प्राप्त हो सके और ग्रामसभाएं विकास कर सकें । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पुनः स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए ।

(2) जबलपुर जिले के कुंडम क्षेत्र की इस महाग्राम सभा की समिति सहित राज्य की कुछ चुनी हुई समितियों द्वारा तेंदुपत्ता के व्यस्थापन को राज्य सरकार एक Pilot Project के रूप में अनुमति देने पर विचार करे जिससे कि इस संभावना का पता लगाया जा सके कि वे लाभप्रद रूप से तेंदुपत्ता का विक्रय करके लाभ अर्जित कर सकती हैं अथवा नहीं । इससे पूर्व इन समितियों के

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India

पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए । यह प्रशिक्षण शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाए , जिससे महाग्रामसभा तेंदूपत्ते के अगले मौसम के प्रारंभ होने से पहले ही विक्रय हेतु तैयार हो सकें ।

(3) आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि जबलपुर की इस समिति के वन धन केंद्र बनाए जाने के आवेदन पर अभी तक राज्य सरकार एवं TRIFED द्वारा सहमति नहीं दी गई है । कई अन्य आवेदन भी लंबित हैं । यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ।

(4) इन समितियों द्वारा संग्रहित वनोपजों के विपणन हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए तथा इन समितियों को आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जाए ।

(5) सामुदायिक वन प्रबंधन का कार्य ग्रामसभाओं के माध्यम से ही कराया जाए ।

(6) विगत 3 वर्षों में समिति के सदस्यों को दिये गए बोनस का ऑडिट कराया जाए क्योंकि यह सूचित किया गया है कि मात्र दो -तीन रूपये सैकड़ा की दर से ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया गया है जो कि बहुत कम है ।

(7) आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक PESA ACT के नियम नहीं बनाए गए हैं । राज्य सरकार को शीघ्र संबन्धित नियम बना कर अधिसूचित करना चाहिए ।

(8) आयोग को एक माह के अंदर कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट से अवगत कराया जाए।

अनंत ... NAYAK
... ber
राष्ट्रीय ... जाति आयोग
NATIONAL COM... OR SCHEDULED TRIBES
भारत ... ovt. of India
नई दिल्ली New Delhi

परिशिष्ट

जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील के आदिवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने संबंधी वनाधिकार आय से वंचित करने के संबंध में, श्री लाला राम टेकाम, सचिव, महाग्राम सभा रोरिया, ग्राम पंचायत- टिकरिया, तहसील- कुण्डम, जिला- जबलपुर (म.प्र) तथा श्री भरत नामदेव, मझगांव, तहसील - सिहोरा, जबलपुर (म.प्र) के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2021 को 03.30 बजे आयोग में हुई सिटिंग की उपस्थिति।

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनंत नायक	माननीय सदस्य
2.	श्री राकेश कुमार दुबे	उपनिदेशक, (ईएसडीडब्लू)
3.	श्री राधाकांत त्रिपाठी	विधिक सलाहकार
4.	श्री हृषीकेश झा	विधिक सलाहकार
5.	श्री आलोक कुमार द्विवेदी	परामर्शक

वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

1.	श्री अशोक वर्णवाल	प्रमुख सचिव, वन (म.प्र)
2.	श्री पुष्कर सिंह	प्रबंध संचालक, म.प्र., राज्य लघुवनोपज संघ
3.	सुश्री अंजना सुचिता तिर्की	वनमंडलाधिकारी

अभ्यावेदक

1.	श्री भरत नामदेव
2.	श्री लालाराम टेकाम
3	श्री हुब्बीलाल आर्मो